आदेश (अधीन धारा 3 आफ पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918)

जिला कैथल की सीमा के अन्दर धान की फसल की कटाई कम्बाईन मशीन से करवाने के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मावन जीवन को भारी खतरे की सम्भावना रहती है, जबकि उन अवशेषों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला में सभी गांवों, कस्बों, आदि में तुरन्त प्रभाव से ठीकरी पहरा लगवाकर गश्त करना अति आवश्यक है।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं, **डा0 प्रियंका सोनी, भा0प्र0से0, जिलाधीश, कैथल** दा पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों की डयूटी लगाती हूं कि वह अपने क्षेत्र में अवशेषों के बचाव के लिए व इनकी सुरक्षा हेतू ठीकरी पहरा देंगे। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी सम्बन्धित जिला विकास एवं पंचायंत अधिकारी/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत/स्थानीय निकायों की होगी। यह आदेश **दिनांक 31–10–2019 से दिनांक 30–11–2019** तक लागू रहेंगे।

इन आदेशों का प्रचार जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी/तहसील/ स्थानीय निकायों/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा ग्राम पंचायतें करेंगी।

इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दि पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश आज दिनांक 04/11/2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रांक सहित जारी हुए।

जिलाधीश, कैथल।

पृ0 क्रमांक 14652-14752/एम0ए0 दिनांक 04-11-2019.

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व आपदा एवं प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह चण्डीगढ।
4. आयुक्त, करनाल मण्डल, करनल।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
8. राज्य के सभी उपायुक्त।
9. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला/कलायत।
12. जिला राजस्व अधिकारी, कैथल।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
14. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
15. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, कैथल।
16. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, कैथल।
17. सचिव, नगरपालिका, चीका/पूण्डरी/कलायत।
18. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
19. आशुलिपिक उपायुक्त/नगराधीश।
20. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कैथल को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त आदेशों को जिला कैथल की वैबसाईट पर अप–लोड करने का कष्ट करें।

DISTRICT MAGISTRATE KAITHAL

जिलाधीश, कैथल।

Dhara 144